12

165/18-6-20

165/18-6-20

सख्या:ईडीएन–एच (प्रार0)(4) 4–2/2018–Fee.Reim.
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश, शिमला – 171001

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)
16 JUN 2020
शिमला–1

दिनांक शिमला–171001 जून, 2020

सेवा में,

उप–निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
हमीरपुर, उना, सोलन (हि0प्र0)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अलाभ्ति समूह के छात्रों हेतु 25 प्रतिशत आरक्षण के तहत फीस प्रतिपुर्ति हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर जैसे कि आपको विदित है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में कक्षा एक से प्रवेश के समय आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के और अलाभित समूह के छात्रों हेतु 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है, जिसके दृष्टिगत सरकार द्वारा दिनांक 06–06–2015 को जारी अधिसूचना एंव एक न्यायालय मामला के तहत दायर याचिका CWP No.355 of 2013 पर दिनांक 30–08–2016 को माननीय उच्च न्यायालय, हि0प्र0 के निर्णयानुसार जिन बच्चों को उक्त लाभ हेतु विचारा जा रहा है, के मामले जिला स्तर /खण्ड स्तर पर उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत जारी निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति–हस्ताक्षरित करने के उपरान्त इस निदेशालय को प्रेषित किये जाते है, जिसके तहत विभाग द्वारा उक्त लाभ प्रदान किया जा रहा है, परन्तु हाल ही में आडिट के दौरान मामलों के परीक्षण पर बच्चों के स्कूल फीस अदायगी विवरण सत्यापन पर आपति उठाई गई है।

अतः भविष्य में सरकार द्वारा दिनांक 06–06–2015 को जारी अधिसूचना एवं न्यायालय मामला के तहत दायर याचिका CWP No.355 of 2013 पर दिनांक 30–08–2016 को माननीय उच्च न्यायालय, हि0प्र0 के निर्णयानुसार मामलों को भलि–भान्ति परीक्षणोंपरान्त तैयार कर इस निदेशालय को निम्न दस्तावेजों सहित भेजा जाना सुनिश्चित करें व समस्त दस्तावेज सम्बन्धित खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित तथा जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति–हस्ताक्षरित हो :–

1. विद्यार्थी का प्रवेश के समय लिया हुआ BPL प्रमाण पत्र तथा पुनः जारी किया गया BPL प्रमाण पत्र।
2. विद्यार्थी के माता/पिता द्वारा लिखित रूप में प्रमाण पत्र कि विद्यार्थी को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है, जो प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक तथा सम्बन्धित खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित और जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति–हस्ताक्षरित किया हो।

Yugal

18/06/20

DDEE

250

12

3. प्रवेश / निकासी पंजिका की प्रमाणित छायाप्रति।
4. विद्यालय द्वारा जारी इस आश्य का प्रमाण पत्र कि उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा किसी प्रकार की कोई भी सहायता अनुदान राशि प्राप्त नहीं की गई है।
5. समीपवर्ती राजकीय प्राथमिक पाठशाला का प्रमाण पत्र कि प्रस्तुत दावे का सत्यापन किया गया है। छात्र / छात्रा सम्बन्धित पाठशाला में अध्ययनरत है।

संयुक्त निदेशक (स्कूल)

पृष्ठाकन संख्या : सम संख्ययक दिनांक शिमला–171001 जून, 2020.

प्रतिलिपि–

1. समस्त उप–निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हि0प्र0 को उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है। Shimla
2. रक्षक नस्ति ।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)
16 JUN 2020
शिमला–1

हस्ता०
संयुक्त निदेशक (स्कूल)

कार्यालय उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
जिला शिमला, शिमला –171004,

पृष्ठांकनः संख्याः शिक्षा – शिमला (प्रा0) (2–4) ए (बी) 2/2020– 21651-951 दिनांक 23-6-2020.

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश शिमला –1 के कार्यालय पत्र संख्याः– ईडीएएन–एच (प्रार0)(4) 4–2/2018–Fee.Reim. दिनांक 16 जून 2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. समस्त बी0आर0सी0सी0 प्राथमिक खण्ड शिक्षा तथा नायव तहसीलदार डोडरा –क्वार जिला शिमला को इस कथन के साथ प्रेषित है कि संलग्न पत्र में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यावाही करें व कृत कार्यावाही से इस कार्यालय को भी अवगत करवाये।
3. समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी तथा नायव तहसीलदार डोडरा –क्वार जिला शिमला को इस कथन के साथ प्रेषित है कि संलग्न पत्र में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें व कृत कार्यावाही से इस कार्यालय को भी अवगत करवाये।
4. समस्त प्रबन्धक / प्रधानाचार्य निजी विधालय तथा नायव तहसीलदार डोडरा –क्वार जिला शिमला को इस कथन के साथ प्रेषित है कि संलग्न पत्र में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करे।
5. रक्षक नस्ति ।

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
शिमला–4, जिला शिमला ।

सी.पी.सी.आर.–ए(4)–27 / 2016–296–297
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
शर्मा भवन, बिलो बी.सी.एस., फेज–3,
न्यू शिमला–171009

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक / उच्च शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश,
लालपानी शिमला–171001

दिनांक: शिमला–171009, 21 मार्च 2020

विषयः– सरकारी / निजी स्कूलों में बच्चों को 25% आरक्षण दिलाने के बारे में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अवगत कराया जाता है कि आयोग ने प्रदेश में विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया है जिनमें अधिकतर स्कूलों में यह पाया गया है कि बच्चों एवं अभिभावकों को इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि सभी स्कूलों में आरक्षित वर्गों, जैसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा से नीचे एवं दिव्यांग वर्गों के बच्चों के दाखिले के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान है। इस हेतु, निरीक्षण के दौरान आयोग ने स्कूल प्रशासनों को निर्देश भी दिए थे, लेकिन आयोग की जानकारी के अनुसार, इसका लाभ संबंधित वर्गों के बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले आरक्षित वर्ग के छात्र इस लाभ से वंचित रह रहे हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे सभी बच्चों एवं उनके अभिभावकों को जागरूक किया जाना चाहिए। चूंकि वर्तमान में सभी सरकारी / निजी स्कूलों में नए दाखिले किए जा रहे हैं, इसीलिए सभी अभिभावकों को व्यापक प्रचार / विज्ञापन पत्रक (Pamphlets) अथवा अन्य संचार माध्यमों से जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि गरीब एवं आरक्षित वर्गों के छात्रों को दाखिले में 25% आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित हो सके। इस हेतु सरकारी एवं निजी विद्यालयों के सूचना पट्ट पर बड़े अक्षरों में यह सूचना विज्ञापित करने के अतिरिक्त स्कूल द्वारा जारी किए जाने वाले प्रत्येक विज्ञापन में भी इस आरक्षण का उल्लेख किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रोस्पेक्टस में भी इसका विवरण मुद्रित किया जाए और सार्वजनिक / प्रमुख स्थानों पर भी इस हेतु विज्ञापन लगाए जाएं, ताकि इसका व्यापक प्रचार हो सके। इस हेतु जारी किए जाने वाले विज्ञापन का एक नमूना आयोग को भी अवलोकनार्थ भेजा जाए।

भवदीय,

निदेशक (डब्ल्यू.सी.डी.) एवं सदस्य सचिव,
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
हिमाचल प्रदेश

250

संख्याःशिक्षा–शिमला(प्रा0)(2–4)ए(बी)2/2020– 21350-650
कार्यालय उप निदेशक शिक्षा प्रारम्भिक,
जिला शिमला– शिमला –171004.

दिनांक शिमला–171004. 23-6-2020.

सेवा में,

समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य निजी विधालय,
तथा नायव तहसीलदार डोडरा –क्वार
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
तथा नायव तहसीलदार डोडरा –क्वार
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

समस्त बी0आर0सी0सी0 प्राथमिक खण्ड शिक्षा,
तथा नायव तहसीलदार डोडरा –क्वार
जिला शिमला हिमाचल प्रदेश।

विषय :– निजी स्कूलों में बच्चों को 25% आरक्षण दिलाने के बारे में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश से प्राप्त संख्या ईडीएएन–एच (प्रार0)(4) 4–2/2018– Fee.Reim.दिनांक 16 जून 2020 के सन्दर्भ में निर्देश दिए जाते है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अलाभित समूह के छात्रों हेतू दाखिलें में 25% आरक्षण देने तथा फीस प्रतिपुर्ति हेतू जागरूक करने के दृष्टिगत सरकार द्वारा दिनांक 06–08–2015 को जारी अधिसूचना एंव न्यायालय मामला के तहत दायर याचिका CWP No.355 of 2013 पर दिनांक 30–08–2016 को माननीय उच्च न्यायालय, हि0प्र0 के निर्णयानुसार जारी दिशा–निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करें।

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
शिमला–4, जिला शिमला ।

पृष्ठाकंन संख्या दिनांक शिमला–171004 ....2020.

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा ,हिमाचल प्रदेश शिमला –1 के कार्यालय पत्र संख्याः– ईडीएएन–एच (प्रार0)(4) 4–2/2018– Fee.Reim.दिनांक 16 जून 2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. रक्षक नस्ति ।

Sd/
उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
शिमला–4, जिला शिमला ।